छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –79 प्रकरण क्रमांक–**M-COM-2022-01700**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''श्रीराम विहार'' प्रमोटर–श्री पवन अग्रवाल, पता–प्यारेलाल अग्रवाल मार्ग, रामसागर पारा, रायपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–''श्रीराम विहार'' जरवाय–हीरापुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
01/04/2024	– प्रकरण प्रस्तुत । – अनावेदक / प्रमोटर द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट ''श्रीराम विहार'' छ.ग. रेरा पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA040920001139** के रूप में दिनाँक 04.09.2020 को पंजीयन कराया गया है। परन्तु अनावेदक द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–11 में सहपठित प्राधिकरण का परिपत्र क्रमांक–17 / रेरा / 2018 / 562, दिनाँक 28.09.2018 एवं क्रमांक–22 / रेरा / 2018 / 676, दिनाँक 03.11.2018 के अनुसार त्रैमासिक अद्यतन करने व अन्य आवश्यक प्रकटीकरण नहीं किये जाने के कारण अनावेदक के विरूद्ध अधिनियम की धारा–61 व 63 अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। – प्रकरण की सुनवाई के दौरान अनावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं लंबित अनुपालनों को पूर्ण करने हेतु समुचित अवसर भी प्रदान किया गया है। – प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों, प्रोजेक्ट से संबंधित दस्तावेजों व प्रमोटर द्वारा वेबपोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अनावेदक द्वारा मार्च, 2023 तक की अवधि हेतु ही त्रैमासिक अद्यतन किया गया है। प्रमोटर द्वारा ब्रोशर वेबपोर्टल पर अपलोड करते हुये वित्तीय वर्ष 2022–2023 तक वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई है। अनावेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये यह लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में मौजूद भूमि को पी.एम.एल. ए. अधिनियम, 2002 के तहत् प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अस्थायी रूप से संलग्न किया गया है, जो अभी भी नई दिल्ली में निर्णय प्राधिकारी के समक्ष लंबित है। अनावेदक द्वारा नई दिल्ली में प्रकरण लंबित होने के कारण यथास्थिति बनाये रखने का लेख किया गया है। अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में विकास नहीं	

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	करने और ना ही किसी भी प्लॉट का विक्रय करने का लेख किया गया है। इसके पश्चात् अनावेदक द्वारा संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुक्त किये जाने के उपरांत प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों एवं परिपत्रों का अनुपालन कर लिया गया है। अनावेदक द्वारा त्रैमासिक अद्यतन व वार्षिक लेखा परीक्षण संबंधी बाध्यतायें पूर्ण लिये जाने उपरांत प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः प्रकरण में कार्यवाही समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में भेजा जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) **सदस्य** सही/– (संजय शुक्ला) **अध्यक्ष**	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –79 प्रकरण क्रमांक–**M-COM-2022-01700**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''श्रीराम विहार'' प्रमोटर–श्री पवन अग्रवाल, पता–प्यारेलाल अग्रवाल मार्ग, रामसागर पारा, रायपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–''श्रीराम विहार'' जरवाय–हीरापुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –79 प्रकरण क्रमांक–**M-COM-2022-01700**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''श्रीराम विहार'' प्रमोटर–श्री पवन अग्रवाल, पता–प्यारेलाल अग्रवाल मार्ग, रामसागर पारा, रायपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–''श्रीराम विहार'' जरवाय–हीरापुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर